



प्रारूप (ख)

(देखिये नियम 9(3),(4) और (6))

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपर्कण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड

दिनांक 31.7.2013

नियम 2007 / स०प० / राजस्व / 13 / 1303

संपरिवर्तन आदेश

आदेशक मदर इण्डिया ऐजूकेशनल सोसायटी झालावाड सचिव आजाद हूसैन पुत्र शमशुद्दीन कौम मुसलमान निवासी झालावाड के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (प्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 (राजस्व (ग्रुप-6) विभाग (वी अधिसूचना दिनांक 16.1.2012) के नियम 9 (1),(b)(i) (3) (4) और (6) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसे द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्ट्यां नीचे दी गई है :-

1. आवेदक, खातेदार अभिधारी का नाम/पिता /पति का नाम पूरा पता सहित	मदर इण्डिया ऐजूकेशनल सोसायटी झालावाड सचिव आजाद हूसैन पुत्र शमशुद्दीन कौम मुसलमान निवासी झालावाड
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति सदस्य है।	नहीं
3. संपरिवर्तन कराये जाने के लिए व्योरा - (क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्यैक खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) ५०मी०	खानपुर/ग्रा० प० खानपुर/तहसील खानपुर। ख.न. ३६१/२९९२ की रकबा ०.१४ बीघा में से १०४२.६८ वर्ग मीटर एवं ख.न ३६१/३१५३ की १४५६.९९ वर्ग मी. कुल २४९९.६७ व.मी। ख.न. ३६१/२९९२ की रकबा ०.१४ बीघा में से १०४२.६८ वर्ग मीटर एवं ख.न ३६१/३१५३ की १४५६.९९ वर्ग मी. कुल २४९९.६७ व.मी।
(ग) संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मीटर में)	ख.न. ३६१/२९९२ की रकबा ०.१४ बीघा में से १०४२.६८ वर्ग मीटर एवं ख.न ३६१/३१५३ की १४५६.९९ वर्ग मी. कुल २४९९.६७ व.मी। संपरिवर्तित क्षेत्र का नक्शा संलग्न है जिसे लाल स्थायी से दर्शाया गया है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन -	संस्थानिक प्रयोजन (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)
5. संदेय प्रीमीयम की दर -	संपरिवर्तन दर ४४.८५/- रु० प्रति वर्ग मीटर
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमीयम की रकम -	चा.सं. ३४७ दि० २६.६.२०१३ से २०३९०/- रुपये एवं चा.सं. ३९४ दिनांक ११.७.२०१३ से ९१७२०/- रु० कुल १,१२,११०/- रु० मद ००२९ भू राजस्व में जमा
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा शास्ती यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिये नियम १३ के अधीन जारी किया गया है -	नहीं
10. अन्य विशिष्ट्यां यदि कोई हो -	नहीं

उपर्कण्ड अधिकारी
खानपुर

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :—

- (1). उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञापत्र किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
 - (2). यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से नियम 14 में बताई गई या बढ़ाई गई पांच वर्ष की अवधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन रामयहृत हो जावेगा।
 - (3). नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
 - (4). लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन गूमि के किसी भाग का इन्य लिस्टी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राथिकारी के विधि द्वारा अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नहीं किया जावेगा।
 - (5). ग्राम खानपुर में वारा-झालावाड़ में द्वारा हाइवे रोड के गद्य से 132 फिट / 40 मीटर की दूरी छोड़कर डी गिर्माण किया जावे एवं विधि पूर्वक निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ही दरवर्य प्राप्त किया जावे। संपरिवर्तित भूमि का अकृषिक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपर्योग किया जावेगा।
 - (6). इंडेड्यून रोड काग्रेस द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
 - (7). प्रत्याग्रित भूमि अन्य संपरिवर्तन भूमि में रास्तापालित कर साइट प्लान नहीं बनाया जावे।

उपर्युक्त आधिकारी
ज्ञानपूर्ण

कमांड / राजन्त्र / १३ / १३०४-१३०९
प्रतिलिपि - गिर्म का स्वर्गार्थ एवं पालनार्थ।

दिनांक 31.7.2013

- ✓ 1. श्रीगान चिला कलक्टर महोदय झालावाड।
2. तुड सीलदार खानपुर।
3. उप पंजीयक खानपुर।
4. सचिव ग्राम पंचायत खानपुर।
5. गटवारी हल्का खानपुर।
6. त००८०८०१० तहसील कार्यालय खानपुर।
7. आदेक मदर इण्डिया ऐजूकेशनल सोसायटी झालावाड सचिव आजाद हूरैन पुत्र शमशुद्दीन
कौन मुसलमान निवासी झालावाड

नम
उपरक्षेत्र जायकारी
खानपत्र



प्रारूप (ख)

(देखिये नियम 9(3),(4) और (6))


कार्यालय* विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड
क्रमांक / नियम 2007 / स0प0 / राजस्व / 17 / १५।

दिनांक 11.07.2017

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक मदर इण्डिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड जर्ये सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमशुउददीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 (राजस्व (मुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.1.2012 एवं 6.10.16) के नियम 9 (जी) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसे द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टां नीचे दी गई है :-

1. आवेदक, खातेदार अभिधारी का नाम/पिता /पति का नाम पूरा पता सहित	मदर इण्डिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड जर्ये सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमशुउददीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड।
2. आधार नम्बर	9399 2192 6151
3. भासाशाह नम्बर	-
3. मोबाइल नम्बर	9414194086
4. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति सदस्य है।	नहीं
5. संपरिवर्तन कराये जाने के लिए व्योरा - (क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा नम्बर ओर प्रत्यैक खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) २०मी०	खानपुर/ग्रा० प० खानपुर/तहसील खानपुर। ख.न. 362/3022 की रकबा 1.07 बीघा में से 23484 वर्ग फिट एवं ख.न 362/3059 की 2.05 बीघा में से 39165 वर्ग फिट कुल 62649 वर्ग फिट = 5820.23 वर्ग मीटर
(ग) संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मीटर में)	ख.न. 362/3022 की रकबा 1.07 बीघा में से 23484 वर्ग फिट एवं ख.न 362/3059 की 2.05 बीघा में से 39165 वर्ग फिट कुल 62649 वर्ग फिट = 5820.23 वर्ग मीटर
(घ) प्रत्यैक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल जो कि रूपान्तरित किया जाना है -	ख.न. 362/3022 की रकबा 1.07 बीघा में से 23484 वर्ग फिट एवं ख.न 362/3059 की 2.05 बीघा में से 39165 वर्ग फिट कुल 62649 वर्ग फिट = 5820.23 वर्ग मीटर
नोट-(अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नकशे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है)	संपरिवर्तित क्षेत्र का नक्शा संलग्न है जिसे लाल स्थायी से दर्शाया गया है।
6. संपरिवर्तन का प्रयोजन -	संस्थानिक प्रयोजन (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)
7. संदेय प्रीमीयम की दर -	संपरिवर्तन दर 59.70/- रु० प्रति वर्ग मीटर
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमीयम की रकम -	चा.सं. जी.आर.एन. 00643705 (347) दिनांक 07.07.2017 से 347468/- रुपये अक्षरे - तीन लाख सेतालिस हजार चार सौ अडसठ रुपये मात्र मद 0029 भू राजस्व में जमा
9. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा शास्ती यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
10. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं


उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड

11. क्या आदेश नियमितीकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है –	नहीं
12. अन्य विशिष्ट्यां यदि कोई हो –	नहीं

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-

- (1). उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञापत्र किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- (2). यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से नियम 14 में बताई गई या बढ़ाई गई पांच वर्ष की अवधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समयहृत हो जावेगा।
- (3). नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- (4). लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी के विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नहीं किया जावेगा।
- (5). ग्राम खानपुर में बांरा-झालावाड मेघा हाइवे रोड के मध्य से पूर्व दिशा में 350 फीट की दूरी छोड़कर ही निर्माण किया जावे एवं विधि पूर्वक निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ किया जावे। संपरिवर्तित भूमि का अकृषिक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जावेगा।
- (6) इण्डियन रोड कार्गेस द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
- (7) प्रस्तावित भूमि अन्य संपरिवर्तन भूमि में सम्मिलित कर साझट प्लान नहीं बनाया जावे।

—SD—
उपर्युक्त अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड

दिनांक 11.07.2017

क्रमांक / राजस्व / 17 / 952 - 958

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, झालावाड।
2. तहसीलदार खानपुर।
3. उप पंजीयक खानपुर।
4. सचिव ग्राम पंचायत खानपुर।
5. पटवारी हल्का खानपुर।
6. त०रा०ले० तहसील कार्यालय खानपुर।
7. मदर इण्डिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड जर्ये सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमशुउद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड।

उपर्युक्त अधिकारी
उपर्युक्त भागपुर
खानपुर जिला झालावाड



प्रारूप (ख)

(देखिये नियम 9 (3),(4) और (6))

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड

क्रमांक / नियम 2007 / संख्या / १७ / १८५

दिनांक १२.०७.२०१७

खानपुर

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक मदर इण्डिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड जर्ये सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमशुउद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 (राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.1.2012 एवं 6.10.16) के नियम 9 (जी) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसे द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टयां नीचे दी गई है :-

1. आवेदक, खातेदार अधिधारी का नाम/पिता/पति का नाम पूरा पता सहित	मदर इण्डिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड जर्ये सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमशुउद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड ।
2. आधार नम्बर	9399 2192 6151
3. भाराशाह नम्बर	-
3. मोबाइल नम्बर	9414194086
4. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति सदस्य है।	नहीं
5. संपरिवर्तन कराये जाने के लिए व्योरा - (क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्यैक खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) २०मी० (ग) संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मीटर में) (घ) प्रत्यैक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल जो कि रूपान्तरित किया जाना है -	गोलाना/ग्रा० प० गोलाना/तहसील खानपुर। खसरा न. २३३/१४५७ की रकबा ४.१० बीघा में से ४१५२.७३ वर्ग मीटर खसरा न. २३३/१४५७ की रकबा ४.१० बीघा में से ४१५२.७३ वर्ग मीटर खसरा न. २३३/१४५७ की रकबा ४.१० बीघा में से ४१५२.७३ वर्ग मीटर
नोट-(अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है)	संपरिवर्तित क्षेत्र का नक्शा संलग्न है जिसे लाल स्थायी से दर्शाया गया है।
6. संपरिवर्तन का प्रयोजन -	संस्थानिक प्रयोजन (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)
7. संदेय प्रीमीयम की दर -	संपरिवर्तन दर ८९.५४/- रु० प्रति वर्ग मीटर
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमीयम की रकम -	चालान संख्या जी.आर.एन. ००६४३७८६ (३४६) दिनांक ०७.०७.२०१७ से ३,७१,८५३/- रुपये अक्षरे - तीन लाख इक्कतर हजार आठ सौ तरेपन रुपये मात्र मद ००२९ भू राजस्व में जमा
9. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा शास्ती यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
10. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा व्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
11. क्या आदेश नियमितीकरण के लिये नियम १३ के अधीन जारी किया गया है -	नहीं
12. अन्य विशिष्टयां यदि कोई हो -	नहीं

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-

- (1). उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञापत्र किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- (2). यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से नियम 14 में बताई गई या बढ़ाई गई पांच वर्ष की अवधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समयहृत हो जावेगा।
- (3). नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- (4). लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी के विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नहीं किया जावेगा।
- (5). ग्राम गोलाना में बांरा-झालावाड मेघा हाइवे रोड के मध्य से पश्चिम दिशा में 132 फीट की दूरी छोड़कर ही निर्माण किया जावे एंव विधि पूर्वक निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ किया जावें। संपरिवर्तित भूमि का अकृषिक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जावेगा।
- (6). इण्डियन रोड कारेस द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
- (7). प्रस्तावित भूमि अन्य संपरिवर्तन भूमि में सम्मिलित कर साइट प्लान नहीं बनाया जावे।

क्रमांक /राजस्व/17/ ९६५—९७/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, झालावाड।
2. तहसीलदार खानपुर।
3. उप पंजीयक खानपुर।
4. सचिव ग्राम पंचायत गोलाना।
5. पटवारी हल्का गोलाना।
6. त००३००८० तहसील कार्यालय खानपुर।

✓ मंदर इण्डिया ऐज्यूकेशनल सोसायटी झालावाड जर्ये सचिव आजाद हुसैन पुत्र शमशुउद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड।

दिनांक/2.07.2017

— ८१ —
उपर्युक्त अधिकारी
उपर्युक्त खानपुर झालावाड
खानपुर जिला झालावाड

✓ उपर्युक्त अधिकारी
उपर्युक्त खानपुर
खानपुर जिला झालावाड



Form D

(See Rule 10(4))

Office of the Prescribed Authority/Sub Divisional Officer, Khanpur Distt. JHALAWAR

No. Revenue/2017 / 972

Date: 13-07-2017

REVISED CONVERSION ORDER

On the application of Mother India Educational Society Jhalawar through Secretary Shri Azad Hussain Son of Shri Shamsuddin Caste Muslman Resident of Jhalawar the agricultural land already converted for a non-agricultural purpose is hereby converted for revised non-agricultural purpose under rule 10(4) of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules 2007, the particulars of which are given us under:

1. Name/Names of tenant or co-tenants	Mother India Educational Society Jhalawar through Secretary Shri Azad Hussain Son of Shri Shamsuddin Caste Muslman Resident of Jhalawar
2. Aadhar number	9399-2192-6151
3. Bhamashah number	---
4. Father's/Husband's Name	Shamsuddin
5. Address with mobile number	Jhalawar 9414194086
6. E-mail ID (if any)	mies_khanpur@yahoo.com
7. Whether the applicant is a member of SC/ST (Yes/No)	No
8. Purpose of original conversion indicating the Number and date of the order	Commercial Purpose Revenue/07/468-474 Date 29-11-2007
9. Revised Purpose of conversion	Institutional Purpose (Educational Purpose)
10. Details of the land converted: (a) (i) Name of District (ii) Name of Tehsil (iii) Name of Village (b) Khasra No. of the land along with area of each Khasra No. (in hectare) (c) Area converted (in sq. mtr.) Indicating the area of each Khasra No.	Jhalawar Khanpur/Gram Panchayat Khanpur/Tehsil Khanpur Khanpur Khasra No. 361/2996 500 Sq. Mtr out of 0.06 Beegha Old Khasra No. 361/1 Area 500 Sq. Mtr out of 01 Beegha Khasra No. 361/2996 500 Sq. Mtr out of 0.06 Beegha
Note: A duly verified copy of the relevant part of revenue map showing the land converted for revised non-agriculture purpose is enclosed.	Revised converted area map enclosed that showing by red ink
11. Rate of conversion payable on original conversion	Conversion Rate 89.54 Rs. Per Sq. Mtr.
12. Amount of premium deposited with original	Challan No. G.R.N. 00643589 (348) Date 07-07-2017 Amount 44770/- (In Words forty Four Thousand Seven Hundred Seventy Rupees) Item 0029 deposited in Land Revenue
13. Amount of penalty deposited, if any, with date and No. of challan	No

उपर्युक्त अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़

14. Amount of interest deposited, if any, with date and No. of Challan	No
15. Other particulars in any	No

16. The above conversion order shall be subject to the following conditions:-

- (i) The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- (ii) If the applicant fails to use the land for the revised converted purpose within a period of 2 years from the date of the issue of this order, money deposited by the applicant shall be forfeited.
- (iii) No land as mentioned in rule 4 shall be used for non-agricultural purpose.
- (iv) No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultural purpose without valid permission from the Prescribed Authority.


— 8d —
 Sub-Divisional Officer
 उपखण्ड अधिकारी
 Khanpur
 खानपुर जिला झालावाड़

No. Revenue/17/ ९७३ - ९७९

Date: १३-०७-२०१२

Copy to:

- 1. The District Collector, Jhalawar
- 2. Tehsildar Khanpur
- 3. Sub-Registrar, Khanpur
- 4. Secretary, Gram Panchayat, Khanpur
- 5. Patwari Halka, Khanpur
- 6. T.R.A. Tehsil Office, Khanpur
- 7. Secretary of the Mother India Educational Society Jhalawar
- 8. Office Copy


 Sub-Divisional Officer
 उपखण्ड अधिकारी
 Khanpur
 खानपुर जिला झालावाड़

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

जगमग हैल्पलाइन :- 07432-230645,
07432 -230646

फोन नं. 07432-230403, फैक्स नं. -230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

प्रारूप "ब"

(देखिये नियम 9(3),(4) और (6))

कार्यालय विहित प्राधिकारी (जिला कलक्टर, झालावाड़) राज०
संख्या एफ 2(10)/राजस्व/नियम 2007/स०प०/१७/२८५ दिनांक 14/7/17
-: संपरिवर्तन आदेश :-

मदर इण्डिया एजूकेशनल सोसायटी झालावाड़ जर्ये आजाद हुसैन आ० शमशूदीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड़ के आवेदन पर उनकी खातेदारी अभिधृति मे धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9(3),(4) और (6))के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई है :-

1- आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित तथा पूरा पता	मदर इण्डिया एजूकेशनल सोसायटी झालावाड़ जर्ये आजाद हुसैन आ० शमशूदीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड़
2- क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	नहीं
3. सम्परिवर्तन भूमि का व्योरा अ-ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील नाम ब-भूमि का खसरा सं० व प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल हेक्टर या वर्ग मी० मे०	खानपुर/खानपुर /खानपुर 556 की 12.00 बीघा (19425) वर्गमी०
स-क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए सम्परिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मी० मे०)	19425 वर्ग मीटर
द- प्रत्येक ख०नो का क्षेत्रफल जो कि रूपान्तरित किया जाना है	556 की 12.00 बीघा (19425) वर्गमी०
टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए सम्परिवर्तित भूमि का प्रमाणित राजस्व नक्शे के सुसगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	संपरिवर्तित क्षेत्र का नक्शा संलग्न है।
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5- संदेय प्रिमियम की दर	5/- रु प्रति वर्गमी०
6-मूल आवेदन के साथ जमा करायी गयी प्रिमियम की रकम चालान की सं० तथा तारीख सहित	चा०न० - दि० 12.07.2017 से 231950/-रु मद 0029 भू-राजस्व ग्रामीण भूमि रूपान्तरण से आय मद मे० जमा
7- चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
8- चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज, यदि हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
9- क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है ।	नहीं
10-अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो	नहीं

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।



मैं घर में धूंधट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलकटर, झालावाड

जगमग हैल्पलाइन :- 07432-230645,
07432 -230646

फोन न. 07432-230403, फैक्स न. -230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

11- उपदर्शित संपरिवर्तन आदेश निम्न लिखित शर्तों के अध्याधीन होगा:-

- (1) उपयुक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहूत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समपहूत हों जावेगा।
- (3) नियम 4 में यथा-वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- (4) लोकोपयोगी प्रयोजन संपरिवर्तन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
- (5) इण्डियन रोड कॉर्प्रेस द्वारा रस्ते के सबंध में बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना करना होगा।
- (6) किसी भी रास्ते के मध्य से 30 मीटर की दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जावे एवं विधि पूर्वक निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ किया जाये एवं इण्डियन नेशनल कॉर्प्रेस रोड नियमों की पालना करना होगा।
- (7) प्रस्तुत दस्तावेजों जिनके आधार पर यह संपरिवर्तन किया गया है में किसी भी भी प्रकार की कमी/विचलन /मिश्या रिपोर्ट का पश्चावर्ती स्थिति में भी यदि रवतः पता चलता है या ध्यान में लाया जाता है तो यह प्रक्रिया/संपरिवर्तन शून्य समझा जावेगा।

विहित प्राधिकारी की मोहर

(डॉ०जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलकटर
झालावाड

क्रमांक /सम/2017/ 2786-9)

दिनांक 14/7/17

प्रतिलिपि :-

1. उपखण्ड अधिकारी खानपुर
2. तहसीलदार खानपुर
3. सरपंच ग्राम पदायत खानपुर प0स0 खानपुर
4. जिला राजस्व लेखाकार स्थानीय कार्यालय
- ✓ 5. आवेदक मदर इण्डिया एजूकेशनल सोसायटी झालावाड जर्ये आजाद हुसैन आ० शम्शुद्दीन जाति मुसलमान निवासी झालावाड
6. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त कलकटर
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।



मैं घर में धूंधट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती